**संख्या-51/2018/2889/22-2-2017-17(473)/2017**

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2*** ***लखनऊ: दिनांक 16 जनवरी, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ललित कपूर पुत्र श्री राजेन्द्र कपूर निवासी जनपद-कानपुर नगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-39052/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-02.05.2017) दिनांक 30.10.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ललित कपूर पुत्र श्री राजेन्द्र कपूर, जो 22/109,फीलखाना, थाना-फीलखाना, जनपद-कानपुर नगर का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 22-08-2001 को समय लगभग सायं 7:45 बजे अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लूटने के इरादे से डकैती डाली तथा तंमचा एवं चाकू से वार कर नीता शर्मा नामक लड़की की हत्या कर दी एवं सुलोचना नामक महिला के घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-32/2002 में भा0द0वि0 की धारा- 396, 412 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कोर्ट नं0-8, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 08.10.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27.02.2017 तक 15 वर्ष 04 माह 28 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 06 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 07 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध हैं तथा 02 सहअभियुक्त जमानत पर रिहा हो चुके हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने दिनांक 22-08-2001 को 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लूटने के इरादे से डकैती डाली तथा तंमचा एवं चाकू से वार कर नीता शर्मा नामक लड़की की हत्या करने एवं सुलोचना नामक महिला को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने का अवसर होने,अशक्त न होने, जेल मे और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रयोजन होने, पारिवारिक सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी, एवं जिला मजिट्रेट, द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, एवं जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी ललित कपूर पुत्र श्री राजेन्द्र कपूर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी ललित कपूर (बन्दी संख्या-18166) पुत्र श्री राजेन्द्र कपूर, निवासी जनपद-कानपुर नगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

**संलग्नकः यथोपरि।**

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-51/2018/2889(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**शासनादेश सख्ंया-51/2018/2889/22-2-2017-17(473)/2017**

**दिनांक 16 जनवरी, 2018 का संलग्नक**

**<u>सरकार के आदेश</u>**

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ललित कपूर पुत्र श्री राजेन्द्र कपूर, जो 22/109,फीलखाना, थाना-फीलखाना, जनपद-कानपुर नगर का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 22-08-2001 को समय लगभग सायं 7:45 बजे अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लूटने के इरादे से डकैती डाली तथा तंमचा एवं चाकू से वार कर नीता शर्मा नामक लड़की की हत्या कर दी एवं सुलोचना नामक महिला के घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-32/2002 में भा0द0वि0 की धारा- 396,412 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कोर्ट नं0-8,कानपुर नगर के आदेश दिनांक 08.10.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27.02.2017 तक 15 वर्ष 04 माह 28 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 06 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 07 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है तथा 02 सहअभियुक्त जमानत पर रिहा हो चुके हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने दिनांक 22-08-2001 को 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लूटने के इरादे से डकैती डाली तथा तंमचा एवं चाकू से वार कर नीता शर्मा नामक लड़की की हत्या करने एवं सुलोचना नामक महिला को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने का अवसर होने,अशक्त न होने, जेल मे और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने,पारिवारिक सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी, एवं जिला मजिट्रेट, द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, एवं जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी ललित कपूर पुत्र श्री राजेन्द्र कपूर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in